संख्या–32/चौवालिस-2-5/90

प्रेषक,

आर० रमणी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों से सम्बन्धित शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2 — लखनऊः दिनांकः 19 जनवरी, 1990

विषयः– कम्पनीज एक्ट, 1956 की संशोधित धारा 293 ए का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कम्पनीज एक्ट, 1956 की संशोधित धारा 293 ए, जो दिनांक 24-5-85 से प्रभावी है, के अन्तर्गत सरकारी कम्पनियों के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजनैतिक दलों को राजनैतिक उद्देश्य से किसी व्यक्ति को चन्दा दिया जाना, जिसके अन्तर्गत सरकारी कम्पनियों के द्वारा राजनीतिक लाभ या राजनैतिक उद्देश्य के लिए प्रकाशन किया जाना (चाहें वह प्रकाशन स्मारिका, पुस्तिका, ट्रैक्ट पम्पलैट आदि के रूप में हो) दण्डनीय है तथा धारा 293 ए के प्राविधानों के उल्लंघन के फलस्वरूप सम्बन्धित कम्पनी द्वारा दिये गये चन्दे की धनराशि का तीन गुना अर्थदण्ड और सम्बन्धित दोषी अधिकारी को तीन वर्ष तक की कैद और अर्थदण्ड भी दिये जाने की व्यवस्था है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त कम्पनीज एक्ट 1956 की संशोधित धारा 293 ए के उपरोक्त निहित प्राविधानों का अपने नियंत्रणाधीन सरकारी कम्पनियों में कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
[आर० रमणी]
सचिव।

संख्या–32 (1)/चौवालिस-2-5/90, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) सार्वजनिक क्षेत्र के समस्त निगमों/उद्योगों/उपक्रमों/परिषदों के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक गण।
(2) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, लखनऊ।
(3) श्री बी०पी० गुप्ता, संयुक्त सचिव, भारत सरकार उद्योग मंत्रालय, कम्पनी कार्य विभाग, नई दिल्ली को उनके अर्द्ध शा० पत्र संख्या–17/517/84-आई०जी०सी० दिनांक 26-12-89 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,
[आर०एन० सिन्हा]
अनु सचिव।